(2A)

(To be published in Part II, Section 4 of Gazette of India)

New Delhi, the 10 Jun. 91

S.R.O. 145 in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the follwing rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director(Administration) in the Defence Research and Development Organisation under the Ministry of Defence, namely :-

1. Short title and commencement :-(I) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence (Group 'A', Gazetted) Joint Director (Administration) Recruitment Rules, 1991.

2. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay. The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications. - No persons, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

.....2

Saving - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

(SL TRIPATHI)
Under Secretary to the Govt of India

File No DRDO/76207/RD/MPD-2/2161/D(R&D)

Please publish.

(SL TRIPATHI)
Under Secretary to the Govt of India

11/8/91

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Wheth[er] years ... ible ... Centr[al] ... (pens[ion]) benefit of added [years] of service admissible under rule 30 of the Civil Service [(Pensio]n) Rules 1972)
1	2	3	4	5	6	7
1. Joint Director (Administration)	1* (1991)	General Central Civil Service Group 'A' Gazetted Ministerial.	Rs. 4500-150-5700	Selection	Not Applicable	N[illegible] Applicable

*Subject to variation dependent on workload.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation transfer to be made	If a DPC exists what is tis composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by transfer on deputation	Promotion Chief Administrative Officer in the pay scale of Rs.3700-5000 with 5 years regular service in the grade. Transfer on Deputation Officers of the Central/State Governments/Union territories holding (a) (i) analogous posts on a regular basis or (ii) with 5 years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 3700-5000 or equivalent and (b) Possessing experience in Administration establishment and accounts matters. *	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotions) 1. Chairman/Member Union Public Service Commission Chairman. 2. Chief Controller Research & Development or Additional Secretary (defence Research) Member. 3. Director of Personnel/ Director of Manpower Planning and Development, Research & Development Organisation Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while selecting an officer for appointment to the post on deputation.

*Note
(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held/this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Governments shall not exceed 5 years).

/immediately preceding

§भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ§

भारत सरकार

नई दिल्ली, 10.6.1991.

अधिसूचना

का. नि. आ. 145 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में संयुक्त निदेशक§प्रशासन§ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ §1§ इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय §समूह "क" राजपत्रित§ संयुक्त निदेशक§प्रशासन§ भर्ती नियम, 1991 है ।

§2§ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं: वह व्यक्ति-

§क§ जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

§ख§ जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. <u>शिथिल करने की शक्ति</u>:– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. <u>व्यावृत्ति:</u> इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय–समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

§अनुसूची संलग्न§

§ एस. एल. त्रिपाठी §
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>फाइल सं0 डी. आर. डी. ओ/76207/आर. डी/एम. पी. डी–2/2161/D(R&D)</u>

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	×1 (1991)	साधारण केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसचिवीय	4500-150-5700 रु0	चयन	लागू नही होता	लागू नहीं होता

× कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।
8.	9.	10.
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति (भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
11.	12.
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ।	<u>प्रोन्नति</u> 3700-5000 के वेतनमान में ऐसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । <u>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण</u> केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी- (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या (2) जिन्होंने 3700-5000 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास प्रशासन स्थापना और लेखा संबन्धी विषयों में अनुभव है । (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी)

[illegible] प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13.	14.
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबन्ध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास या अपर सचिव (रक्षा अनुसंधान) – सदस्य 3. कार्मिक निदेशक/जनशक्ति योजना और विकास निदेशक, अनुसंधान और विकास संगठन – सदस्य	इस पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी का चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।